आम आदमी पार्टी

जिला – खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई

मनोज कुमार गुप्ता,
जिला अध्यक्ष, जिला–के.सी.जी.
निवास–सिविल लाईन, खैरागढ़
मो.नं. 9425560760.

AAM AADMI PARTY

क्र. Q. दिनांक-13-07-2026

प्रति,

छ.ग. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
~~से~~ राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :- वार्ड-15 शहरी क्षेत्र खैरागढ़ में लो-वोल्टेज, बार-बार बिजली बंद होना, सहायता केन्द्र में फोन ना उठाना एवं सड़क बत्ती संबंधी शिकायत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वार्ड-15 शहरी क्षेत्र खैरागढ़ (अमलीडीह खुर्द) में उपभोक्ताओं को निम्नलिखित शिकायत है।

(1) वोल्टेज का कम-ज्यादा होते रहना, जिस कारण घरेलू बिजली चलित उपकरण का खराब होने का खतरा बना रहता है।

(2) बार-बार प्राय: लाईट का बंद होना।

(3) सहायता केन्द्र में फोन लगाने पर फोन न उठाना।

(4) सड़क बत्ती का तिराहा से लांजी रोड - स्व. निकेश यादव द्वार तक सड़क बत्ती का न जलना।

अत: उपरोक्त शिकायत का शीघ्र सुव्यवस्थित तरीके से निवारण करने की व्यवस्था करें। ताकि वार्ड वासियों को छ.ग. सरकार द्वारा सुविधा का लाभ समुचित रूप से मिल सके।

संलग्न :- पीड़ित उपभोक्ताओं की सूची।

(मनोज कुमार गुप्ता)

जिला महासचिव

O/o THE E.E. (O&M)
CSPDCL, Khairagarh
Receipt No. 2590
Date 14 JUL 2026
A.E. (O) S.O.
Cash Estt.
Steno Rev.
Gen./Purch Work
Works-II Billing
A.E. E.E.

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूष्न कंपनी लिमिटेड

(छ.रा.वि.मं. की एक उत्तरवर्ती कंपनी) (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपकम)

CIN-U40108CT2003SGC015822

कार्यालय – कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग, छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., खैरागढ़.

कमांक 13–13–00/अनु0अधि0/ 1973 खैरागढ़, दिनांक 10.08.2026

प्रति,

श्री मनोज कुमार गुप्ता,
जिला– अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी,
निवास– सिविल लाईन–खैरागढ़,
जिला– खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई (छ0ग0)

विषय :– वार्ड–15 शहरी क्षेत्र खैरागढ़ मे लो–वोल्टेज, बार–बार बिजली बंद होना, सहायता केन्द्र में फोन ना उठाना एवं सड़क बत्ती संबंधी शिकायत के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक क्यू दिनांक 13/07/2026, इस कार्यालय को प्राप्ति दिनांक 14/07/2026

000

उपर्युक्त संदर्भित पत्र में वार्ड–15 शहरी क्षेत्र खैरागढ़ मे लो–वोल्टेज, बार–बार बिजली बंद होना, सहायता केन्द्र में फोन ना उठाना एवं सड़क बत्ती संबंधी शिकायत के निराकरण त्वरित किये जाने का लेख किया गया है, जिसके तारतम्य में अवगत किया जाता है कि–

1. उक्त वार्ड में स्थापित 63 केव्हीए ट्रांसफार्मर के पास का डी0ओ0फयूज यूनिट लूज होने के कारण वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा था, डी0ओ0फयूज को 15.07.2026 को दुरस्त कर दिया गया जिससे उक्त समस्या का निराकरण हो गया है।
2. उपरोक्त लाईन में लगी एबी स्वीच मेल–फिमेल में खराबी आने से सप्लाई बंद हो रही थी जिसे ठीक कर दिया गया है।
3. लाईन बंद होने की स्थिति में विभिन्न स्थानों से एक ही समय में टेलीफोन आने के कारण उसे अटैंन्ड करने में विलम्ब होता है साथ ही उसे फोन के माध्यम से तकनीकि कर्मचारियों द्वारा सप्लाई के संबंध में निरंतर काल आते रहता है, जिसके कारण इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है।
4. सड़क बत्ती में कार्बन आ जाने के कारण वह कभी चालू रहता था तो कभी बंद हो जाता था कनेक्शन को टाईड करने से ठीक हो गया।

अस्तु जानकारी सूचनार्थ प्रेपित।

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग
छत्ती0 स्टेट पा0डिस्ट्री0 कं0 लिमि0,खैरागढ

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष,विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव (छ0ग0) को सादर सूचनार्थ अग्रेषित।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक / विउशिनिफोराज. / 2026 / 74 राजनांदगांव दिनांक 21/08/26

01. श्री मनोज कुमार गुप्ता
जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी,
निवाास सिविल लाईन खैरागढ, जिला– के.सी.जी. (छ.ग.)

02. कार्यपालन अभियंता (संचा. / संधा.) संभाग,
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., खैरागढ़।

विषय :– **प्रकरण क्रमांक / 31 / 2026 पर पारित आदेश**

––00––

विषयांतर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव

प्रतिलिपि : O/C

अधीक्षण अभियंता (वृत्त), छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष ए.के. गौराहा)

प्रकरण क्रमांक / 31 / 2026

संस्थित दिनांक 03 / 8 / 2026

श्री मनोज कुमार गुप्ता, परिवादी
निवासी–सिविल लाईन–खैरागढ़
जिला खैरागढ़–छुईखदान–गंडई (छ.ग.)

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा) संभाग, ...उत्तरवादी
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., खैरागढ़ (छ.ग.)

आदेश

(दिनांक 21 / 08 / 2026 को पारित)

परिवादी द्वारा खैरागढ़ नगर पालिका के अन्तर्गत वार्ड कमांक 15 में बार–बार बिजली बंद होना, वोल्टेज का कम ज्यादा होते रहना, सहायता केन्द्र में फोन न उठाना, सड़क वत्ती का न जलना इत्यादि संबंधी शिकायतो का उत्तरवादी द्वारा निराकरण नहीं किये जाने से क्षुब्ध होकर परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

1. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. वार्ड नं.–15 खैरागढ नगर पालिका में विद्युत कनेक्शन उत्तरवादी द्वारा प्रदान की गई है।

ख. गुणवत्ता पूर्ण एंव निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना उत्तरवादी विभाग का दायित्व है।

2. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी का मुख्य शिकायत यह है कि उसके वार्ड नं.–15 खैरागढ़ में लगातार विद्युत आपूर्ति संबंधी समस्याएं बनी हुई है जिसके कारण सामान्य जन जीवन प्रभावित हो रहा है। तथा विभाग द्वारा शिकायतों पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है।

3. प्रस्तुत शिकायत का उत्तरवादी द्वारा अपने पत्र कमांक 1995 दिनांक 11.08.2026 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि –

उत्तरवादी ने स्वीकार किया है कि उक्त क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति एवं स्ट्रीट लाईट संबंधी तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हुई थी, विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण कर आवश्यक सुधारत्मक कार्यवाही की गई। जिसके निराकरण की सूचना परिवादी को प्रदान की गई है।

4. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं –

I. क्या उत्तरवादी द्वारा परिवादी की शिकायत में वर्णित विद्युत आपूर्ति एवं सड़क प्रकाश संबंधी समस्याओं का प्रभावी एवं स्थायी निराकरण कर दिया गया है।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न कमांक (i) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

5. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत तथा उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् तकनीकी जांच कर निम्न सुधारत्मक कार्यवाही की गई।

I. वार्ड कं.15 में स्थापित 63 के.व्ही. ट्रांस्फार्मर का डी.ओ. फ्यूज लूज होने के कारण वोल्टेज में कमी एवं उतार चढ़ाव की समस्या उत्पन्न हो रही थी, उक्त डी.ओ. फ्यूज को 15/07/2026 को बदलकर दुरूस्त कर दिया गया है। जिससे वोल्टेज की फलक्चुवेशन की समस्या समाप्त हो गई।

II. उपरोक्त लाईन में लगी ए.बी. स्वीच मेल–फिमेल में खराबी आने से सप्लाई बंद हो रही थी, जिसे मरमम्त कर आपूर्ति को सामान्य कर दिया गया है।

III. सहायता केन्द्र में एक ही समय में विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में दुरभाष कॉल प्राप्त होने के कारण कभी कभी सभी कॉलो का तत्काल उत्तर देना संभव नहीं हो पाता है। विभाग ने इस संबंध में आवश्यक निर्देष जारी कर दिये है। ताकि शिकायतों का यथाशीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।

IV. सड़क बत्ती में केबल कनेक्शन में कार्बन आने व लूज होने के कारण प्रकाश व्यवस्था बाधित हो रही थी। कनेक्शन को आवश्यक रूप से टाईट कर एवं सुधार कर स्टीट लाईट को पुनः चालू कर दिया गया है।

उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि उपयुक्त सभी समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है। परिवादी द्वारा भी पत्र कं. Q दिनांक 10/08/2026 के माध्यम से यह स्वीकार किया गया है कि विभाग द्वारा शिकायत का निराकरण कर दिया गया है तथा वह की गई कार्यवाही से संतुष्ट है।

6. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत प्रस्तुत परिवाद में निम्नानुसार आदेश प्रदान किया जाता है :–

I. उत्तरवादी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समूचित निराकरण किया जा चूका है।

II. परिवादी द्वारा शिकायत के निराकरण के संबंध में संतुष्टि व्यक्त किये जाने के कारण इस प्रकरण में किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है ।

7. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से असंतुष्ट हो तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

आदेश पारित किया गया।

(एन. के साहू)
सदस्य

(ए.के. गौराहा)
अध्यक्ष